तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3554/2022/सीकर निगरानी/टी.ए/3557/2022/सीकर तेजपाल बनाम मोहनीदेवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित
श्री अजयपाल ढिढारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 26–08–2022

यह दोनों निगरानियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ द्वारा वाद संख्या 54/2021 व 89/2021 में पारित आदेश दिनांक 27–6–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

आलोच्य आदेशानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार लम्बित वाद में प्रत्यर्थीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किया है।

उक्त दोनों प्रकरणों में विवाद बिन्दु एक होने तथा पक्षकार समान होने के कारण इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की निगरानी की ग्रह्यता एवं स्थगन के बिन्दु के क्रम में की गई बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया है।

उपलब्ध दस्तावेजात एवं पारित आक्षेपित निर्णय के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3554/2022/सीकर निगरानी/टी.ए/3557/2022/सीकर तेजपाल बनाम मोहनीदेवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के समक्ष वाद संख्या 89/2021 बनवान तेजपाल बनाम मोहन एवं अधिनियम की धारा 212 के प्रकरण संख्या 54/2021 बउनवान तेजपाल बनाम मोहनी के विचारण के दौरान विपक्षी द्वारा पेश किए गए आवेदन अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को न्यायालय ने आक्षेपित आदेश से स्वीकार कर आवेदक को प्रस्तुत मामलों में विपक्षी के रूप में संयोजित करने की आज्ञा प्रदान की है। आक्षेपित आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने विवेचित किया है कि प्रार्थीगण रामनिवास व अन्य के रजिस्टर्ड दस्तावेजात के आधार पर बख्शीश/रिलीज किया हुआ है, जो आवेदन धारा 212 व दावा दायरी से पूर्व रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इसलिए उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को पक्षकार संयोजित किया जाना उचित प्रतीत होता है। मामले में निष्पादित पंजीकृत दस्तावेजात को अन्यथा सिद्ध करने बाबत प्रार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष अन्य कोई नवीन तथ्यों को पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद व स्थगन की कार्यवाही में आक्षेपित आदेश में विधि के प्रावधानों के तहत सम्यक विवेचन किया है, जिसमें किसी विधि का उल्लंघन अथवा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग इंगित नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत आलोच्य निगरानी में किसी प्रकार का कोई बल होना प्रतीत नहीं होता है। तदनुसार प्रस्तुत निगरानी सारहीन होना प्रकट होती है। स्थिति यह प्रकट होती है कि प्रार्थी ने निगरानी मीमो में असंगत आधार अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है। उपलब्ध दस्तावेजात एवं पारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3554/2022/सीकर निगरानी/टी.ए/3557/2022/सीकर तेजपाल बनाम मोहनीदेवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किए गए आक्षेपित आदेश की रोशनी में हम वर्तमान स्तर पर प्रकरण से जुडे समस्त अभिलेख का विधिक परीक्षण किया जाना उचित नहीं समझते है। वैसे भी निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है कि तथा निगराधीन आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जाता है जबकि पारित किया गया आदेश क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग अथवा विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया हो। आलोच्य प्रकरण में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह दोनों निगरानियां सारहीन होने से श्रवणार्थ ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज की जाती है। निर्णय की सूचना उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए/3554/2022/सीकर निगरानी/टी.ए/3557/2022/सीकर तेजपाल बनाम मोहनीदेवी वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए